

23/2/86

अधिवक्ता अपीलार्थ व अपीलार्थ अनुः।

अधिवक्ता अपीलार्थ व अपीलार्थ को न्यायालय समय में कर - 2 कर प्रकृति लगवाई गयी, किन्तु न्यायालय कोर्ट में कोई उपस्थित नहीं हुआ।

उक्त अनिर्णित अधिवक्ता अपीलार्थ को संसोधित शीर्षक व Reg No सम्मन पेश करने की रिदायत दी गयी थी, किन्तु अपीलार्थ अधिवक्ता द्वारा न्यायालय आपेरा की तकनील नहीं की गयी। निहाय उक्त अपील अपम हाजरी, अपम फेरी व अपम तकनील में ब्यालि की जाती है पत्रावली सभी मुताबिक सिक्ति की जाकर काय तकनील सेव्या से कि कम लोक पब्लिक पत्रार लो।

राजेश अपील प्राधिकारी  
पल्लो